इकाई 12 श्रमः बाल श्रमिक

इकाई की रूपरेखा

12.0 उद्देश्य
12.1 प्रस्तावना
12.2 परिभा-ाा, आकलन, साक्षरता दर व सामाजिक पृ-ठभूमि
12.2.1 परिभा-ाा
12.2.2 आकलन
12.2.3 साक्षरता दर
12.2.4 सामाजिक-आर्थिक पृ-ठभूमि
12.3 बाल श्रम के कारण और स्थिति
12.3.1 ग्रामीण क्षेत्र
12.3.2 शहरी क्षेत्र
12.4 संवैधानिक प्रावधान तथा सरकारी नीतियाँ
12.4.1 संवैधानिक प्रावधान
12.4.2 बाल श्रम समिति
12.4.3 बाल श्रम कानून
12.4.4 कार्यान्वयन की समस्याएँ
12.5 बच्चों की बुनियादी जरूरतें पूरा करने की चुनौतियाँ
12.6 सारांश
12.7 शब्दावली
12.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें
12.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

12.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- बता सकेंगे कि बाल श्रम क्या है और बाल श्रमिक कौन हैं;
- बाल श्रम के विभिन्न कारणों की चर्चा कर सकेंगे;
- उन क्षेत्रों का वर्णन कर सकेंगे जहाँ बाल श्रम नियुक्त हैं; तथा
- बाल श्रम के नियंत्रण के लिए बनाई गई नीतियों और कानूनों तथा उनके कार्यान्वयन की व्याख्या कर सकेंगे ।

12.1 प्रस्तावना

इस पाठ्यक्रम में बच्चों पर दो इकाइयाँ हैं । एक बाल श्रम पर है और दूसरी (खंड 5, इकाई 14) आम तौर पर बच्चों की समस्याओं पर है । इस इकाई में भारत में बाल श्रम की समस्याओं की चर्चा की गई है । यह उसकी परिभा-ाा के ऊपर विचार करते हुए शुरू होती है और उसके बाद भारत में बाल श्रम के अनुमानों तथा सामाजिक पृ-ठभूमि की समीक्षा करती है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बाल श्रम की नियुक्ति के स्वरूप और प्रकृति की

सविस्तार समीक्षा की गई है । इस इकाई में बाल श्रम के संबंध में भारत में विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों तथा कानूनों पर भी प्रकाश डाला गया है और आखिर में, बच्चों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की चुनौतियों के बारे में बताया गया है ।

12.2 परिभा-ा, vkdyu, साक्षरता दर व सामाजिक पृ-ठभूमि

इस भाग में हम भारत में बाल श्रम की अवधारणा पर विचार करेंगे । साथ ही उसकी सामाजिक पृ-ठभूमि की भी चर्चा करेंगे ।

12.2.1 परिभा-ा

भारतीय जनगणना की परिभा-ा के मुताबिक एक बाल श्रमिक वह है जो दिन का बड़ा हिस्सा काम करने में लगाता है और 14 व-र् से कम आयु का होता है । वैसे "बालक/बालिका" या "बच्चों" की परिभा-ा पर कोई आम सहमति नहीं है । 1989 के "बच्चों के अधिकारों" पर रा-ट्रमंडल कन्वेंशन में ऊपरी आयु सीमा 18 व-र् रखी गई है । अंतर्रा-ट्रीय श्रम संगठन 15 व-र् से कम आयु वालों को ही बच्चों में गिनता है । भारत में 14 साल से ऊपर उम्र वालों को रोजगार के लिए पर्याप्त उम्र का माना गया है।

12.2.2 vkdyu

बाल श्रम के आकलन में काफी विविधता है। विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में बाल श्रमिकों की संख्या ज़्यादा है। सन् 2000 में विश्व की औसत बाल श्रमिक की भागीदारी दर 11.3 प्रतिशत थी जबकि कुल विकसित देशों और अल्पविकसित देशों में उनकी भागीदारी क्रमशः 13 प्रतिशत 31.6 प्रतिशत थी। दुनिया के अति विकसित क्षेत्रों में बाल श्रम का नामोनिशान मिट गया है। भारत में सन् 2000 में बच्चों की भागीदारी 12.1 प्रतिशत थी (चिल्ड्रेन डाटा बैंक, 2001)। जैसा कि बताया जा चुका है उसमें भारत से संबंधित बाल श्रम के अनेक आकलन प्रस्तुत किए गए हैं। ह्युमन राइट्स वाय (1996) के अनुसार भारत में 60 से 115 मिलियन बच्चे श्रमिक हैं। युनिसेफ के अनुसार यह आंकड़ा 70 से 90 मिलियन है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल ओ) के अनुसार भारत में पूरी दुनिया के एक तिहाई बाल श्रमिक रहते हैं। यू एन डी पी के अनुसार भारत में 100 मिलियन से ज़्यादा बाल श्रमिक कार्यरत हैं जिनमें से 1 मिलियन बाल श्रमिक बंधुआ मज़दूर हैं। राष्ट्रीय नयूना सर्वेक्षण के 32वें दौर में यह आकलन किया गया कि लगभग 736 मिलियन बच्चे बाल श्रमिक हैं। श्रम मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक अध्ययन और ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप (1985) के अध्ययन में श्रमिक बच्चों की संख्या लगभग 44 मिलियन बताई गई है। हाल के अध्ययनों में यह बताया गया है कि भारत में लगभग 44-45 मिलियन बाल श्रमिक हैं जिनमें से लगभग 7.5 मिलियन बच्चे बंधुआं मज़दूर हैं। एशियन लेबर मोनिटर के अनुसार भारत के हर तीसरे घर से 5 से 14 वर्ष का एक बच्चा श्रमिक है। इसलिए बाल श्रमिक के बारे में एक निश्चित आकलन पर पहुंचना कठिन है क्योंकि अध्ययन में काफी विभिन्नता है।

श्रमिक बच्चे अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने के साथ-साथ परिवार को खेतों और उद्यमों में भी काम करते हैं। शहरों के मुकाबले गांव में तीन गुने बच्चे काम पर जाते हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार 6.7 मिलियन लड़के और 3.5 मिलियम लड़कियां लगभग पूरे वर्ष मुख्य मज़दूर के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं। लड़कों के लिए काम की भागीदारी 9.2 प्रतिशत और लड़कियों के लिए 5.3 प्रतिशत है। मजदूरों की भागीदारी को गिनने के बाद यह दर बढ़कर लड़कों के लिए 10 प्रतिशत और लड़कियों के लिए 7.6 प्रतिशत हो जाती है। दूसरे शब्दों में शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की कार्य में भागीदारी

काफी ज़्यादा है। शहरी क्षेत्रों में श्रम भागीदारी दर (गौण मजदूर सहित) 5-14 वर्ष लड़कों के बीच 3.6 प्रतिशत और लड़कियों के बीच 1.3 प्रतिशत है।

शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में बाल श्रमिकों की भागीदारी और भी बढ़ जाती है क्योंकि मानूसन के 3-4 महीनों में ही परिवार ज़्यादा से ज़्यादा कमा लेना चाहता है। जीवनयापन की वस्तुओं जैसेः जलावन की लकड़ी, चारा, और जंगल से छोटे-मोटे उत्पाद आदि को लाने का काम बाल श्रमिक ही करते हैं। खेती के समय कृषक बाल श्रमिकों से ही काम करवाते हैं। इन सबके कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। लड़कियों की स्थिति तो और भी बुरी होती है। इसलिए बाल श्रमिकों का सही-सही आकलन करना बहुत कठिन है।

12.2.3 साक्षरता दर

ज्यादातर अध्ययनों में निम्न साक्षरता दरों और कार्य भागीदारी दरों में सीधा रिश्ता देखने को मिलता है । ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 4.1 प्रतिशित बालक तथा 2.2 प्रतिशत बालिकाएँ साक्षर थीं । इसी तरह, शहरी क्षेत्रों में 7.0 प्रतिशत बालक तथा 2.5 प्रतिशत बालिकाएँ साक्षर थीं। इसका मुख्य कारण यह है कि ऐसी स्थिति में बच्चों द्वारा कमाई मजदूरी खोनी पड़ती है।

vH;kl 1

आपने अपने मोहल्ले में कई बाल श्रमिक देखे होंगे । उनसे बातचीत करके उनके शैक्षणिक दर्जे/साक्षरता स्तर के बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए । इस छानबीन पर आधारित एक पेज का नोट उनके साक्षरता स्तरों के बारे में लिखिए । निरक्षरता के मूल कारण की भी व्याख्या कीजिए । संभव हो तो अपने अध्ययन केंद्र में अपने सहपाठियों से अपने नतीजे मिलाइए ।

ckDl 1

लिंग भेद तथा बाल श्रमिक

हमारे समाज में लिंग भेद की प्रक्रिया और जिम्मेदारियों का विभाजन बहुत जल्दी ही शुरू हो जाता है । आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा पिछड़े परिवारों में, गरीबी जितनी ज्यादा होती है, बालिकाओं की स्थिति उतनी ही नाजुक और दर्दनाक होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पौ-टिकता पर खुद परिवार के भीतर उनकी असमान पहुँच, उनके विकास और आगे बढ़ने के मौकों को और संकुचित कर देती है । अनौपचारिक क्षेत्र तथा गृह आधारित कार्यों में नियुक्त, मजदूरी कमाने वाली बालिकाओं की स्थिति तो और ज्यादा खराब है । एक अदृश्य श्रमिक की हैसियत से उसे घर में छोटे भाई-बहनों की देखरेख, घर के अन्य कामकाज और काम में माँ का हाथ बँटाने का काम भी करना पड़ता है ।

दिल्ली में कूड़ा-करकट इकट्ठा करने वाली बालिकाओं से संबंधित अध्ययन ने यह पाया कि सभी ऐसे परिवारों से थीं, जो बंगला देश या पश्चिम बंगाल से आई थीं। इस काम के अलावा वे माचिस बनाने, घरेलू काम तथा ईंधन और पानी जुटाने का काम भी करती थीं । चार-चार व-र्ा की बालिकाएँ अपने बड़े भाई-बहनों के साथ कूड़ा-करकट इकट्ठा करने जाती थी । ऐसे में उनमें अंतड़ियों के रोग तथा चर्म रोग होने की बहुत संभावनाएँ थीं ।

जिन उद्योगों में बड़ी तादाद में बालिकाओं के श्रम का इस्तेमाल होता है, वह है काँच के काम, हीरों की कटाई व पालिश करने के काम, दियासलाई व आतिशबाजी उद्योग । इन उद्योगों में काम की स्थितियाँ बेहद खराब हैं ।

12.2.4 सामाजिक-आर्थिक पृ-ठभूमि

ई.एस.ओ.-02 के खंड 1 की इकाई 12 में आपने भारत में गाँवों की गरीबी के स्वरूप और विस्तार के बारे में पढ़ा था। भारत में गरीबी की समस्या का चित्रण वर्गों और जातियों के आधार पर किया गया है। गाँवों के इलाकों में भूमिहीन खेतिहर मजदूर, सीमांत भूमिधारक तथा दस्तकार परिवार ही " गरीब तबका" बनते हैं। भूमिहीन मजदूर ज्यादातर अनुसूचित जातियों/जनजातियों से आते हैं। शहरी क्षेत्रों में गरीब लोग झुग्गी-झोंपड़ियों या पटरियों और फुटपाथों पर रहते हैं। मात्रात्मक दृ-टि से भी भारत में गरीबी की समस्या की चर्चा की गई है। उदाहरण के लिए, सरकारी आँकड़ों के मुताबिक भारत में 40 प्रतिशत लोग बेहद गरीबी में जीवन-यापन करते हैं। ग्रामीण गरीब अक्सर जीविका निर्वाह न कर पाने की स्थिति में, नौकरियों की तलाश में शहरों की ओर प्रव्रजन करते हैं। शहरी भारत का चेहरा बदल रहा है क्योंकि 400 लाख लोग, जिसमें 60 लाख बच्चे भी शामिल हैं, झुग्गियों में रहते हैं। लाखों ऐसे घरों के बच्चों को कम उम्र में ही काम में जुटकर पारिवारिक आय में अपना योगदान करना होता है। गरीब घरों में बाल श्रम तो महज जिन्दा रहने की रणनीति है। इस तरह, संपूर्ण विश्व में बाल श्रमिक सबसे ज्यादा भारत में हैं।

बोध प्रश्न 1

1) बाल श्रम के क्या कारण हैं? लगभग छः पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

....

2) भारत में बाल श्रमिक कौन हैं? लगभग तीन पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

12.3 बाल श्रम के कारण और स्थिति

जैसा कि हम देख चुके हैं, बच्चे हर तरह के काम में नियुक्त हैं। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वह किस तरह के काम करते हैं, हम उसकी जाँच कर सकते हैं।

12.3.1 ग्रामीण क्षेत्र

बच्चे स्व-रोज़गार श्रमिकों के तौर पर या सिर्फ अवैतनिक पारिवारिक सहायकों की तरह काम करते हैं। ग्रामीण इलाकों में बच्चे अक्सर जानवर चराने, कृ-ि कार्यो, गृह आधारित उद्यमों (जैसे बीड़ी, हथकरघा, दस्तकारी आदि) के काम करते हैं। नेशनल सेम्पल सर्वे

ऑर्गनाइजेशन (एन.एस.एस.ओ.) के अनुसार भारत में बाल श्रमिक की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं:

i) अनुसूचित जाति की आबादी का अनुपात (किसी एक क्षेत्र में ज्यादा केंद्रित होना)

ii) महिला साक्षरता की निम्न दरें ।

iii) बालिग मजदूरों के लिए निम्न मजदूरी

iv) भूमि धारण के स्वरूप (जमीन छोटे टुकड़ों में) ।

v) गृह आधारित उत्पादन ।

महिलाओं के लिए मजदूरी की ऊँची दरों के साथ ज्यादातर यह पाया गया कि बालिकाओं की भागीदारी दर कम थी क्योंकि उस स्थिति में वे परिवार के घरेलू काम के लिए रोक ली जाती थीं । लिहाजा एन.एस.एस.ओ. के अध्ययन ने यह भी दिखाया कि बालिग महिलाओं की काम की स्थिति में सुधार और बच्चों को वैकल्पिक काम देने से बाल श्रम भी कम किया जा सकता है । कई अध्ययनों और शोधों से पता चलता है कि देहाती क्षेत्रों में बाल श्रमिकों की तादाद बहुत ज्यादा है । ज्यादातर बाल श्रमिक भूमिहीन कृ-ाक परिवारों में केंद्रित हैं, विशे-ाकर कृ-ाि, पशुपालन, तथा खाद्य संसाधन, बुनाई, दस्तकारी, बीड़ी, पापड़ आदि बनाने जैसे गृह आधारित उद्यमों में ।

बाल श्रम की माँग इस बात से भी तय होती है कि सांस्कृतिक तौर पर निर्धारित उम्र और लिंग का श्रम विभाजन क्या है । 10-14 आयु वर्ग की बालिकाएँ बालकों से कहीं ज्यादा काम करती हैं ।

12.3.2 शहरी क्षेत्र

शहरी क्षेत्रों में बच्चे मजदूरों का काम छोटे उद्योगों और कार्यशालाओं में बीड़ी, दियासलाई या आतिशबाजी बनाने का या फिर काँच और चूड़ियों का, कालीनों की बुनाई, हथकरघा,

हीरों की पालिश, कुम्हारी, कागज के लिफाफे, प्लास्टिक की चीजें बनाने और मत्स्य संसाधन जैसा काम करते हैं । दियासलाई और आतिशबाजी बनाने के उद्योगों में बड़ी तादाद में, बहुत कम उम्र के बच्चे काम करते हैं । वे निर्माण-स्थलों, पत्थरों की खानों में तथा माल लादने और उतारने का काम भी करते हैं ।

होटलों और ढाबों में वे चाय और खाना देने का काम या दूध और सब्जी बेचने अथवा घरेलू नौकरों, अखबार बेचने वालों या गाड़ी साफ करने वालों का काम करते हैं । झुग्गियों के बच्चे कुलियों तथा आश्रित श्रमिकों के रूप में काम करते हैं ।

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बच्चे अवैतनिक पारिवारिक श्रमिकों के रूप में या, मालिकों के घरों में, परिवारों द्वारा किया जाने वाला ठेके के काम में, अपने ही परिवारों के छोटे खेतों या उद्यमों में काम करते हैं । घर में किए गए काम का उसे न तो वेतन मिलता है न ही शाबासी । आमतौर पर घरों में किया जाने वाला काम कम शो-णकारी माना जाता है, मगर अक्सर परिवार के भीतर भी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता है तथा कठिन परिस्थितयों में लंबे समय तक काम करना पड़ता है ।

देश के कई हिस्सों में किए गए अध्ययनों में बार-बार यह देखने में आता है कि बाल श्रमिकों को वेतन के लिए बहुत लम्बे समय तक काम करना पड़ता है । और आमतौर पर उन्हें वेतन भी कम मिलता है । कई जगहों पर उन्हें अमानवीय स्थितियों, जीवन की न्यूनतम सुरक्षा के अभाव में भी काम करना पड़ता है ।

vH;kl 2

आपके इलाके में काम कर रहे 10 बाल-श्रमिकों से उनके काम के स्वरूप, काम के घंटों और वेतन से संबंधित जानकारी इकट्ठी कीजिए । इस आधार पर एक नोट लिखिए और संभव हो तो अपने अध्ययन केंद्र में अपने सहपाठियों से इसे मिलाकर देखिए ।

हाल के एक शोध से पता चलता है कि शहरी तथा महानगरीय इलाकों में बाल श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा बेकार बच्चों का होता है । ये ऐसे बच्चे हैं, जिनका घर-बार नहीं है और पटरियों पर रहते हैं । अकेले दिल्ली में ही, यह अनुमान है कि 22 लाख बच्चों में से लगभग 4 लाख कामगार बच्चे हैं और इनमें से लग-भग डेढ़ लाख ऐसे ही गलियों में घूमते हैं । देहाती इलाकों में जीवन की कठिन परिस्थितयाँ और घरेलू तनाव बच्चों को घरों से भागने पर मजबूर कर देते हैं ।

ऐसे घरों से भागे हुए, निराश्रय बच्चे, बाल श्रमिकों का सबसे असुरक्षित हिस्सा होते हैं । एक महानगर में कुलियों का काम करने वाले बच्चों पर एक अध्ययन से पता चला है कि इनमें से अधिकांश कम आय वाले परिवारों से आते हैं । घरों को छोड़ने के पीछे, इन बच्चों ने बताया कि एक मुख्य कारण हिंसा थी । वे आमतौर पर फुटपाथों और रेल-प्लेटफार्मों में सोते हैं ।

हमारे देश में अधिकांश बाल-श्रमिक ऐसे स्थितियों में होते हैं, जहाँ उन्हें मजबूरन काम करना पड़ता है । उन्हें न सिर्फ अपने जिंदा रहने के लिए काम करना पड़ता है बल्कि अपने परिवार के सदस्यों के जिंदा रहने के लिए भी । उन्हें ऐसी अस्वास्थ्यकर तथा असुरक्षित स्थितियों में काम करना पड़ता है जो एक इंसान के चौतरफा विकास के लिए हानिकारक हैं। वे ज्यादातर निरक्षर ही रहते हैं और शारीरिक गठन में भी बीमार दिखते हैं । आज के बच्चे देश के कल के नागरिक हैं । ऐसी स्थितियों में गुंजाइश इसी बात की है कि वे निरक्षर, कुंठित तथा अस्वस्थ नागरिकों के रूप में बड़े होंगे ।

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, बाल श्रमिक साधारणतः गरीब आर्थिक पृ-ठभूमि से आते हैं। जो सीमित मजदूरी पाते हैं। उससे उनके लिए अपनी न्यूनतम जरूरतें पूरी करना भी मुमकिन नहीं है। लिहाजा, अक्सर वे कम उम्र से ही समाज विरोधी गतिविधियों में मजबूरन शामिल हो जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में, उनकी गरीबी और असुरक्षा का फायदा उठाकर कई संगठित समाज विरोधी गिरोह इन बच्चों का इस्तेमाल अपने बेहूदा इरादों को पूरा करने के लिए करते हैं। इस तरह इनमें से अधिकांश बच्चे अपना बचपन निराशा में ही काट देते हैं और आगे चलकर वे निराश्रय बच्चे हो जाते हैं।

हर राज्य, एक कल्याणकारी संस्था के रूप में बाल श्रम पर पाबंदी लगाने के लिए तथा बच्चों की देखरेख के लिए कदम उठाता है। लिहाजा इन प्रावधानों पर भी नजर डालना हमारे लिए जरूरी है। अगले भाग में हम इन पहलुओं पर गौर करेंगे।

बोध प्रश्न 2

सही उत्तर पर टिक (√) का निशान लगाइए।

1) अध्ययनों से पता चलता है कि बाल श्रमिकों की तादाद –

   क) ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है

   ख) शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है

   ग) गाँवों तथा शहरों में बराबर है

   घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

2) बाल श्रमिकों द्वारा वैतनिक श्रम के तहत किस-किस प्रकार के काम किए जाते हैं? लगभग छः पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

   ....

   ....

   ....

   ....

   ....

12.4 संवैधानिक प्रावधान तथा सरकारी नीतियाँ

स्वतंत्रता के बाद भारत में बच्चों के मसलों पर कई संस्थागत कदम उठाए गए हैं। आइए, इन मुद्दों को संक्षेप में देखें।

12.4.1 संवैधानिक प्रावधान

बाल श्रम पर पाबंदी व नियंत्रण ने पिछले दशकों में काफी ध्यान आकर्न्ति किया है। भारत के संविधान में धारा 24 के तहत यह कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, खान/खदान या खतरनाक किस्म के रोजगार में नियुक्त नहीं किया जाएगा। नीति-निर्देशक सिद्धांतों में धारा 39 (ई) तथा (एफ) के तहत राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि " श्रमिकों के स्वास्थ्य तथा शक्ति, चाहे वे श्रमिक पुरु-ा, महिला या नाजुक उम्र के बच्चे हों, का कोई दुरुपयोग नहीं किया जाएगा और "बच्चों को स्वस्थ माहौल में विकसित होने के अवसर तथा सुविधाएँ दी जाएंगी और शो-ाण से उन्हें बचाया

जाएगा ।" संविधान में यह प्रावधान भी है कि राज्य पूरी कोशिश करेगा कि उसके लागू होने से 10 व-र्ा के अंदर 14 साल तक की उम्र के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाए ।

12.4.2 बाल श्रम lfefr

श्रम पर रा-ट्रीय आयोग (1969) तथा बाल श्रम पर समिति (1981) की रपटों में भारत में बाल श्रम के कारण तथा परिणामों की जाँच की गई है । बाल श्रम संबंधी समिति (1981) की रपट के बाद सरकार ने बाल श्रम पर एक विशे-ा केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन श्रम मंत्रालय के तहत किया । यह बोर्ड मौजूदा कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है तथा नए कानून व कल्याणकारी कदमों के सुझाव पेश करता है । वह ऐसे उद्योगों/रोजगारों की भी पहचान करता है जहाँ बाल श्रम खत्म करने की जरूरत है ।

1975 में जब बच्चों के लिए रा-ट्रीय नीति प्रस्ताव पारित किया गया, तभी एक रा-ट्रीय बाल बोर्ड का भी गठन किया गया था जिसका उद्देश्य बच्चों की समस्याओं के बारे में ज्यादा चेतना पैदा करना, उनके कल्याण को प्रोत्साहन देना तथा बच्चों के लिए चल रहे शैक्षणिक तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों की समीक्षा तथा उनका समन्वय करना था ।

12.4.3 बाल श्रम संबंधी कानून

कारखानों में बच्चों की नियुक्ति संबंधी पहला कानून 1881 में बनाया गया । भारतीय फैक्ट्रीज एक्ट 1881 ने रोजगार की न्यूनतम उम्र 7 व-र्ा तय की तथा यह भी तय किया कि ये दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे । 1891 में एक संशोधन करके न्यूनतम उम्र को बढ़ाकर नौ व-र्ा कर दिया गया और काम के घंटों की सीमा घटाकर सात घंटे कर दी गई । 1948 का फैक्ट्रीज एक्ट तो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाने को गैर-कानूनी घो-ित करता है ।

1986 का बाल श्रम (नि-ोध व नियंत्रण) अधिनियम अपने किस्म का पहला व्यापक कानून है जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाना नि-िद्ध करता है, किसी क्षेत्र में यह सीमा 15 साल की भी है, संगठित उद्योगों में, तथा कई खतरनाक औद्योगिक रोजगारों में जैसे बीड़ी व कालीन बनाने, कपड़ा रंगने व बुनाई करने, दियासलाई बनाने, आतिशबाजी बनाने, साबुन के उत्पादन या चर्मशोधन, निर्माण के काम या उद्योग में । मगर बच्चों का सबसे बड़ा हिस्सा तो अनौपचारिक क्षेत्र में नियुक्त है ।

12.4.4 कार्यान्वयन की समस्याएँ

कामगार बच्चों का 80 प्रतिशत से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में तथा कृ-ि के क्षेत्र में है । उनका एक बड़ा हिस्सा स्व-नियुक्त व असंगठित क्षेत्र, जैसे – घरेलू नौकर, ढाबों/होटलों में कार्यरत बच्चे, कुली या निर्माण स्थलों में काम कर रहे बच्चे हैं, जो किसी भी सुरक्षात्मक कानून के तहत नहीं आते ।

सरकार का यह मत है कि बाल श्रम को खत्म नहीं किया जा सकता है, सिर्फ नियंत्रित ही किया जा सकता है । बाल श्रम की समस्याओं से निबटने के लिए 1986 का अधिनियम पर्याप्त नहीं है क्योंकि इन समस्याओं की जड़ें गरीबी में हैं । 1986 का अधिनियम बाल श्रम के खतरनाक कार्यों व प्रक्रियाओं में इस्तेमाल की मनाही करता है । मालिक इस कानून से या तो मास्टर-रोल ही का रिकॉर्ड न रखकर या फिर गृह आधारित छोटी-छोटी इकाइयों से काम करवा कर बच निकलते हैं । ज्यादातर बच्चे छोटे उद्योगों में काम करते हैं जिन पर कानून लागू नहीं होते । शिवकाशी दियासलाई कारखानों में काम कर रही लगभग 40,000

ऐसी बालिकाएँ हैं, जिनकी उम्र 14 साल से कम है । पूर्वी उत्तर प्रदेश के बढ़ते हुए कालीनों के कारखानों में, गैर-सरकारी अनुमान के अनुसार, 25,000 बाल श्रमिक काम करते हैं । गरीबी के कारण उनमें से कोई बिहार व अन्य जगहों से वहाँ गए हैं ।

मालिकों के नजरिए से बच्चे सस्ते तथा आज्ञाकारी श्रम के स्रोत हैं, जिनकी कोई जिम्मेदारियाँ भी नहीं है । कई मालिक तो यह भी दावा करते हैं कि वे तो हमदर्दी की खातिर उन्हें काम देते हैं और इस तरह गरीब परिवारों को अतिरिक्त आय कमाने में मदद करते हैं। उनका कहना है कि अगर इन्हें काम पर न लगाया जाए तो अक्सर ये या तो समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाएंगे या फिर भूखों मर जाएंगे । बच्चों से काम लेकर कम मजदूरी देने के कारण कुल लागत कम हो जाती है और मुनाफे की दर बढ़ जाती है।

कई जाँच मूलक रिपोर्टों तथा वृत्त वि-ायों में बाल श्रम के दुरुपयोग को रेखांकित किया गया है, खासतौर पर फिरोजाबाद के चूड़ी व काँच उद्योग, शिवकाशी के दियासलाई व आतिशबाजी और मिर्जापुर के कालीन उद्योग आदि में । हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बीड़ी उद्योग में बच्चों की नियुक्ति पर पाबंदी लगा दी । कानूनों के बावजूद बाल श्रम का शो-ाण जारी है ।

बोध प्रश्न 3

सही उत्तर पर टिक (√) का निशान लगाइए ।

i) धारा 24 में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के रोजगार का प्रावधान है ।

सही ☐ गलत ☐

ii) भारत में शिक्षा, 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य है ।

सही ☐ गलत ☐

iii) बच्चों पर रा-ट्रीय नीति प्रस्ताव के बारे में लिखिए । लगभग चार पंक्तियों में उत्तर दीजिए ।

....

....

....

....

....

....

12.5 बच्चों की बुनियादी जरूरतें पूरा करने की चुनौतियाँ

बच्चों के अधिकारों या रा-ट्रमंडल के कन्वेंशन में बच्चों की अवहेलना, उसके साथ दुर्व्यवहार या काम पर उनका शो-ाण आदि के मामलों में तथा उन्हें न्यूनतम मानव अधिकार गारंटी करने के मामले में सार्वभौमिक कानूनी पैमाने तय करता है । इस कन्वेंशन में 54 धाराएँ हैं, जिनमें बच्चों की नागरिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अधिकारों की व्याख्या की गई है । फिर भी लाखों लाख बच्चों को "न्याय व मर्यादा का जीवन अधिकार" नहीं मिलता है और उन्हें गरीब व वंचित होने के कारण अमानवीय स्थितियों में

काम करना पड़ता है । वे ऐसे बच्चे हैं, जिन्होंने बचपन के सुख-दुख नहीं देखे हैं । भारत ने रा-ट्रमंडल की आम सभा के अंतररा-ट्रीय बाल व-र्ा के प्रस्ताव का सह-प्रायोजन किया था तथा वह पहला देश था जिसने इस संबंध में कार्रवाई के लिए रा-ट्रीय योजना भी तैयार की। अंतररा-ट्रीय बाल व-र्ा (1979) का मूल वि-ाय था "वंचित बच्चे तक पहुँचो" ।

श्रम कल्याण : क्या यह एक मिथक है ?

बाल श्रम की भागीदारी दर कम करने के मामले में यह आशा की जाती है कि सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की एक प्रमुख तथा प्रभावशाली भूमिका होगी । मगर गरीबी के कारण ही बच्चों को मजबूरन स्कूल छोड़ना पड़ता है । भूख, अवहेलना, शो-ाण और दुर्व्यवहार से बचकर ही बच्चों की क्षमता का विकास संभव हो सकता है । बच्चों के अधिकार महज कानून बनाकर अमल में नहीं लाए जा सकते, बल्कि किसी भी समाज विशे-ा का जीवन स्तर सुधारने की प्रतिबद्धता, खासकर गरीब घरों की महिलाओं की आर्थिक भूमिकाओं को मजबूत करने पर निर्भर करता है ।

किसी भी विकास रणनीति का शुरुआती बिंदु बच्चे ही होते हैं । भारत सरकार की "बच्चों पर रा-ट्रीय नीति" (1974) में इस बात पर बल दिया गया था कि बच्चे देश की सबसे महत्वपूर्ण और कीमती संपत्ति हैं और यह ऐलान किया था कि देश ही उनकी "देखरेख और विकास" के लिए जिम्मेदार होगा । उसमें यह भी कहा गया है कि "मानव संसाधनों के विकास के लिए बनाई जाने वाली हमारी रा-ट्रीय योजनाओं में बच्चों के कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए ताकि वे बड़े होकर स्वस्थ नागरिक बन सकें ।...... उनके बड़े होने के समय के दौरान सभी बच्चों के विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए क्योंकि यह हमारे व्यापक उद्देश्य, जैसे – असमानता कम करना तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, हासिल करने में मददगार होगा ।"

इस नीति के ऐलान के बाद एक रा-ट्रीय बाल बोर्ड का गठन 1975 में किया गया ताकि योजना बनाने, तथा बाल कल्याण सेवाओं का समन्वय करने और उन पर निगरानी रखने का काम सुचारु ढंग से किया जा सके । पौ-टिकता, प्रतिरक्षण (इम्युनाइजेशन), स्वास्थ्य,

माताओं की स्कूल-पूर्व शिक्षा वगैरह जैसी बाल कल्याण सेवाओं पर रा-ट्रीय स्तर पर ध्यान देने की बात सोची गई है ।

इन तमाम नीतियों के बावजूद, भारत में शिशुओं की मृत्यु दर (हज़ार ज़िन्दा बच्चों में से 93) अभी भी बहुत ऊँची है । लड़कियों के क्षेत्र में, अवहेलना तथा खाने-पीने, पौ-टिकता व स्वास्थ्य की देखभाल के मामलों में भेदभाव के कारण बाल मृत्यु दर ज्यादा ऊँची है । लड़कों के मुकाबले उन लड़कियों की संख्या भी कहीं ज्यादा है जो स्कूलों के बीच में ही शिक्षा छोड़ देती हैं । स्कूल में दाखिल ही न होने वालों में भी लड़कियों की तादात बहुत ज्यादा होती है, खासतौर पर कम आय वाले परिवारों में, क्योंकि बालिकाओं के श्रम की जरूरत घर पर होती है जिससे वे अपनी माँ का हाथ बँटा सकें ।

सार्क देशों ने 90 के दशक को बालिका दशक घोषित किया था ताकि उन्हें पूरी तरह शिक्षा और स्वास्थ्य उपलब्ध कराया जा सके और उनके विकास तथा वृद्धि पर समुचित ध्यान दिया जा सके। उनके जीवन में सुधार लाने के लिए निम्न आय वर्ग के समूहों के लिए प्रभावी आर्थिक और सामाजिक नीतियां बनाने पर बल दिया गया।

राष्ट्रीय सरकारों की नज़र में कभी भी महिलाएं और बच्चे कार्यसूची की प्राथमिकता में नहीं रहे। बच्चों के संरक्षण और विकास के लिए सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों की संयुक्त कार्रवाई और लगातार राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है।

बोध प्रश्न 4

सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए ।

1) निम्नलिखित में से कौन-से कारक से बाल श्रम भागीदारी दर घटाने में निर्णायक असर हो सकता है?

   क) ऊँची मजदूरी

   ख) बेहतर काम की स्थिति

   ग) प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण

   घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं ।

2) 1990 का दशक निम्नलिखित में से किस देश-समूह द्वारा “ बालिका दशक” घो-ित किया गया है

   क) यूरोपीय देश

   ख) लातिन अमेरिकी देश

   ग) अफ्रीकी देश

   घ) सार्क देश ।

12.6 सारांश

भारत में बाल श्रम की समस्या गरीबी की समस्या से जुड़ी है । अधिकांश बाल श्रमिक भूमिहीन खेतिहर मजदूरों, सीमांत किसानों, दस्तकारों तथा शहरी झुग्गियों में रहने वाले प्रवासी परिवारों से आते हैं । बाल श्रमिकों का कोई ठीक-ठीक अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता है। गरीब घरों में बाल श्रम जिन्दा रहने की रणनीति के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे मजदूरी पर और अवैतनिक पारिवारिक श्रमिकों या स्व-नियुक्त मजदूरों के

तौर पर काम करते हैं और तरह-तरह की वस्तुएँ बेचते हैं। वे दियासलाई और आतिशबाजी, काँच की चूड़ी के कारखानों में और कालीन की बुनाई आदि के काम में नियुक्त किए जाते हैं, बावजूद इसके कि कानून में ऐसे कामों में नियुक्ति पर पाबंदी है।

करोड़ों वंचित बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ, पौ-टिकता व बेहतर जीवन स्तर मुहैया कराना देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इन सब पहलुओं पर विचार करने के लिए हमने भारत में बाल श्रम की सामाजिक पृ-ठभूमि, अनुमानों और स्वरूप पर प्रकाश डाला है। साथ ही हमने भारत में मौजूद उन संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानों की भी चर्चा की है, जो बाल श्रम से संबंधित हैं। आखिर में हमने उन चुनौतियों की भी चर्चा की है, जिनका बाल श्रम की जरूरतों को पूरा करने के लिए सामना करना जरूरी है।

12.7 शब्दावली

गृह आधारित उत्पादनः ऐसी वस्तुएँ जो सिर्फ पारिवारिक श्रम का उपयोग कर बनाई जाती हैं।

अनौपचारिक क्षेत्रः भारत में उत्पादन गतिविधियों, मोटे तौर पर औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र में गतिविधियाँ औपचारिक संस्थाओं द्वारा बनाए गए कानूनों और नियमों द्वारा नियंत्रित होती हैं। अनौपचारिक क्षेत्र से हमारा मतलब उन तमाम आर्थिक गतिविधियों से है जो बिना किसी किस्म के कानूनी रिकॉर्ड के किए जाते हैं। उनकी गतिविधियाँ देश भर में फैली हुई हैं। ज्यादातर स्व-नियुक्त लोग इस श्रेणी में आते हैं।

fngkMh : वह काम जिसकी मजदूरी प्रति इकाई उत्पादन के लिए दी जाती है।

स्व-नियुक्तिः वे लोग जो अपने खुद के पेशों/उद्योगों में काम करते हैं।

12.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

गुप्त, एम. 1987, *यंग हैंड्स एट वर्कः चाइल्ड लेबर इन इंडिया,* आत्मा राम एंड संस पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

यूनिसेफ, 1990, *डेवलपमेंट गोल्ज एंड स्टैटेजीज़ फॉर चिल्ड्रेन इन नाइनटीन नाइन्टीज* यूनिसेफ की नीति समीक्षा, न्यूयार्क।

12.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा असहनीय गरीबी में रहता है। इनमें से कई को मजबूरन काम की तलाश में प्रव्रजन करना पड़ता है। गरीब घरों से लाखों बच्चों को गाँवों तथा शहरों में बहुत कम उम्र से ही पारिवारिक आय में हिस्सा बँटाने के लिए काम करना पड़ता है।

2) जनगणना की परिभा-ाा के मुताबिक एक बाल श्रमिक वह है, जो 14 साल से कम उम्र का हो और दिन के अधिकांश भाग में कार्यरत रहता हो।

बोध प्रश्न 2

1) क)

2) शहरी इलाकों में बच्चे मजदूरी पर काम करते हैं । आमतौर पर वे बीड़ी, दियासलाई, आतिशबाजी, काँच की चूड़ी, कालीन बुनाई, हथकरघा, हीरों की पॉलिश, कुम्हार कार्य, लिफाफे बनाने, प्लास्टिक की वस्तु बनाने या मत्स्य संसाधन जैसे छोटे उद्योगों में काम करते हैं । वे निर्माण स्थलों, पत्थर की खानों व माल लादने-उतारने के काम भी करते हैं ।

बोध प्रश्न 3

1) गलत

2) गलत

3) 1975 में " बच्चों पर रा-ट्रीय नीति प्रस्ताव" के पारित होने के बाद एक रा-ट्रीय बाल बोर्ड का गठन किया गया जिसका उद्देश्य यह था कि बच्चों की समस्याओं पर ज्यादा चेतना पैदा की जाए, उनके कल्याण को प्रोत्साहित किया जाए तथा उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण कार्यक्रमों को समन्वित किया जाए और उस पर निगरानी रखी जाए ।

बोध प्रश्न 4

1) ग)

2) घ)

संदर्भ ग्रंथ सूची

आहुजा, आर., 1992 : *सोशल प्रॉब्लेम्स इन इंडिया ।* रावत पब्लिकेशस, नई दिल्ली ।

बर्धन, पी.के, 1984 : *लैंड, लेबर ऐंड रूरल पावर्टी,* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेसः नई दिल्ली

बेहारी, बी. 1983% *अनएम्पल्वाएमेंट, टेक्नोलॉजी ऐंड रूरल पॉवर्टी,* पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली

देसाई, ए.आर., 1978 : *रूरल सोशियालॉजी इन इंडिया,* पॉपुलर प्रकाशन, बम्बई।

चट्टोपाध्याय, एम., 1982 : *रोल ऑफ फीमेल लेबर इन इंडियन एग्रिकल्चर,* सोशल साइन्टिस्ट, वॉल्यूम 10, नं0 7, पृ. 45-54

भारत सरकार, 1963 : *भारत की जनगणना 1961*, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

गुप्ता एम. 1987% *यंग हैन्डस ऐट वर्कः चाइल्ड लेवर इन इंडिया,* आत्माराम ऐंड सन्स पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

भारत सरकार, 1966 : *एजुकेशन एंड नेशनल डेवेलपमेंट,* रिपोर्ट ऑफ दि एजुकेशन कमीशन 1964-66, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली ।

भारत सरकार, 1974 : *टुवॉड्र्स इक्वॉलिटि : रिपोर्ट ऑफ दि कमिटि ऑन दि स्टैटस ऑफ विमेन इन इंडिया,* समाज कल्याण विभाग, नई दिल्ली ।

भारत सरकार, 1972 : *भारत की जनगणना 1971*, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

भारत सरकार, 1980 : *प्रोफाइल ऑफ दि चाइल्ड इन इंडिया : पॉलिसीज एंड प्रोग्राम,* भारत सरकार, नई दिल्ली ।

भारत सरकार, 1982 : *भारत की जनगणना 1981*, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

भारत सरकार, 1988 : *नेशनल पर्सपेक्टिव प्लैन फॉर विमेन 1988-2000*, महिला तथा बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ।

भारत सरकार, 1988 : *श्रम शक्ति।* अनौपचारिक क्षेत्र में स्व-नियुक्त महिलाओं पर रा-ट्रीय कमीशन की रपट । महिला तथा बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ।

भारत सरकार, 1990 : *इंडिया 1990*, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

हॉमस्ट्रॉम, एच., 1987 : *इंडस्ट्री एंड इनइक्वालिटी ।* ओरियंट लॉगमैन्स : नई दिल्ली ।

जोस, ए.वी.(संपादक) 1989: *लिमिटेड ऑप्शन्स : विमेन वरकर्स इन रूरल इंडिया,* एशियन रीजनल टीम फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रोमोशन । आई.एल.ओ., नई दिल्ली ।

कामत, ए.आर., 1985 : *एजुकेशन एंड सोशल चेंज इन इंडिया ।* समैया, नई दिल्ली ।

नेशनल सैम्पल सर्वे ऑरगनाइजेशन, 1980, *नेशनल सैम्पल सर्वे,* एन ए एस नई दिल्ली।

कामत, ए.आर., 1982 : *नेशनल सैम्पल सर्वे,* एन.एस.एस.ओ., नई दिल्ली ।

कामत, ए.आर., 1985 : *नेशनल सैम्पल सर्वे,* एन.एस.एस.ओ., नई दिल्ली ।
1987, नेशनल सैम्पल सर्वे, एन एस एस ओः नई दिल्ली

रामास्वामी, ई.ए.डी. व यू. रामास्वामी, 1987 : *इंडस्ट्री एंड लेबर,* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली ।

सिंह,एम.ए. व ए.के. विटानान, (संपादक) 1987 : *इनविजिबल हैंड्स : विमेन इन होम-बेस्ड प्रोडक्शन* । सेज पब्लकेशनस्, नई दिल्ली ।

सिंहारॉय, डी.के. 1992, *विमेन इन पीजेन्ट्स मुवमेंट्स तेभागा नेक्सलाइट ऐंड आफटर,* मनोहर; नई दिल्ली।

थॉर्नर, डी. व ए. थॉर्नर, 1962 : *लैंड एंड लेबर इन इंडिया* । एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई ।

यूनिसेफ, 1990 : *डेवेलेपमेंट गोल्ज एंड स्ट्रेटेजीज फॉर चिल्ड्रेन इन द नाइन्टीन नाइन्टीज,* यूनिसेफ : नई दिल्ली ।